

फर्द अहकाम

घाजू कौर बनाम १/९ अखिल कौर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पार्ष्णिघटा

78/2014

आज्ञा या संवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण	
	<p>06-219 प्राची लिंग उक्त वकील अप्राची गण उक्त प्राची ने परिभाषित संख्या १/१ गैन्दी देवी का जोत होना बाहिर किया गया पतावली कास्ते पेश होने कायदा प्रमाण दिनोंक 01-11-19 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>01-11-19 वटुलाप उक्त P.O. 100 दोमे भे. प्यारे ई. गत आदेश की पाणन के दिनोंक 13-11-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] प्रस्तुतकार उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>13-11-19 ककुलप उक्त काते पेश होने प्राचय कायदा दिनोंक 17-11-19 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
	<p>17-11-19 पतावली पेश हुई वकील प्राची उक्त गरी प्राची उक्त गरी का-का आवाज लागवायी गयी कोई उक्त गरी अतः प्राची पण अफम हजरी अफम पेशी से सारित किया जाता है। पतावली फिलहाल प्रभावी रहेगा तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>		

